UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी

उत्तराखंड शासन

E.Mail.pdpwduki@yahoo.com Fax No-01374-222108 Tel.No- 01374-222108

पत्रांक 3747 / वननिर्माण   दिनांक 1/10/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग कोटबंगला,
उत्तरकाशी।

विषय :– **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 5.00 किमी0)।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन किये गये प्रस्ताव पर क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा लगाई गयी ऑनलाइन आपत्तियों (EDS दिनांक 30–05–2018) का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	Online EDS / आपत्तियां	आपत्तियों का बिन्दुवार किया गया निराकरण / प्रत्युत्तर
1	2	3
1	In para-E of inline part I, it is mentioned that permanent and temporary Employement for 20 person and 25900 person respectively, is likely to be generated which does not appears to be corrected.	मोटर मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी0 है जिस हेतु प्रथम चरण की लागत रू0 119.65 लाख है एवं परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू0 485.00 आंकलित की गयी है जिसके अनुसार स्थाई / अस्थाई रोजगार दिवस संशोधित कर दिये गये हैं।
2	Justification is not authenticated by DFO, please upload justification at para- D (i) form A, part I authenticated by DFO.	औचित्य प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी के द्वारा ही जारी किया जाता है, जिस पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कराने की आवश्यकता नही है।
3	In the place of MOU, the CA suitability certificate is uploaded in the column L- (iv), g. while in these place the document needs to be uploaded MOU signed between user agency and present owner for CA regarding to area proposed for CA Form A part I.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग व आवेदक (लो0नि0वि0) के मध्य एम0ओ0यू0 का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
4	42 trees per hectare does not account for 0.4 density. The State Govt. may review the density of the area proposed for diversion and provide NPV calculation accordingly, if required.	आपत्ति का निराकरण वन विभाग द्वारा किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से आवश्यक आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

1.10.18

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी।